

श्री तुलडा

बनाम श्री वाधू व अन्न (06/2017)

किस्म मुकदमा

मु0न0 22 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम कीतामील में
<p>09-02-18</p> <p>श्री तुलडा</p> <p>SR No objection nil 2/18</p>	<p>पार्थी श्री तुलडा द्वारा मूल कोर्ट में जसुत प्रार्थना पत्र वास्तुमिस्त तलक करने शान ही जसुत करने पर मिसल आज मूल कोर्ट के साथ तलक की गई। वकील सुप्रीम श्री कर्पण सिंह जगिण। पार्थी ने मूल कोर्ट में प्रार्थना जसुत कोर्ट 23 नियम। स्यादित धारा 151 जा.दी. जसुत कर ग्राम सेरिया स्थित वादगस्त बाराजी पर प्रकरण में प्रकरण के मध्य काफसी बाराजी जाने से लोक अदालत की भावना से पार्थी प्रकरण में लोगे कोई कार्यवाही नहीं चाहे तथा वाद/प्रार्थना T.I. विद्वो खिमे जसे का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में वादगस्त तथा कोर्ट श्री एवं सीध वस्तु सुप्रीम को पत्र भुजाया गया जिस पर पार्थी ने वाद/प्रार्थना T.I. विद्वो खिमे जाने का निवेदन किया तथा प्रकरण पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया जिस पर वकील सुप्रीम ने कोई एतदान जाहिर नहीं किया। अतः आदेश के अनुसार व बैशुग निशानी पार्थी से कटाए गए जिस पर वकील सुप्रीम ने भी अनापत्ति हांकित की। अतः लोक अदालत की भावना से प्रकरण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार खिमे जाते हैं तथा वाद व प्रार्थना T.I. विद्वो की अनुमति भी जाती है एवं प्रार्थना T.I. पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त करते हुए प्रकरण खसिज किया जाता है। मिसल फैसल सुनार होकर नम्बर से कम हो</p> <p>W</p> <p>वीरूष रामरिया नये नयावक कलक्टर</p>	

